137

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

P-5-I-17

निगरानी कमाक /2016

लल्लू पुत्र श्री रमदीना चमार निवासी ग्रम सादनी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

..आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 31-12-16 को प्रस्तुत

31-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1.मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदक

2.शिवराज सिंह तनय श्री जुझार सिह ठाकुर

3.सरदार सिंह तनय श्री जुझार सिह ठाकुर

4.भैयालाल तनय बाबूलाल अहिरवार

5.चुनुबा तनय पित्ता अहिरवार

6.मुस. जानकारी बाई पुत्री तिजवा चमार

7.संतू तनय दीना चमार

8.सुन्दर तनय दीना चमार

समस्त निवासीगण ग्रम सादनी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

.....क 2 लगायत 8 फोरमल पक्षकार

910
31-12-16

निगरानी मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क 26/अ–19/2005–06 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 8.1.2014 के विरूद्ध ।

31-12-16

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण–

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 05 /1/2017 जिला–छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
9-2-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त , सागर संभाग सागर के प्रकरण क 26/अ–19/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– .प्रकरण का सांरश यह है कि ग्रम सांदनी , तहसील राजनगर जिला छतरपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 389 राजस्व अभिलेखों में पूर्व से म.प्र. शासन दर्ज थी। उक्त भूमि का पटटा तहसीलदार मण्डल बसारी द्वारा प्रकरण क 57/अ–19/1997–98 मे पारित आदेश दिनांक 28.08.1998 से विधिवत रूप से राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(3) कें अंतर्गत म.प्र शासन राजस्व विभाग के आदेशानुसार 64 व्यक्तियों को बंटन किया गया जिसमे आवेदक को भी सरल क 52 पर भूमि सर्वे कमाक 389 मे से 1.647 हे. का बंटन किया गया जिस बंटन के विरूद्ध कोई भी अपील किसी न्यायालय मे नही की गई जो अपील /निगरानी की गई वह अन्य पक्षकारो ने अपने बंटन आदेश के विरूद्ध की गई वह अन्य व्यक्तियो के विरूद्ध की गई आवेदक के बंटन के विरूद्ध कोई भी अपील व निगरानी किसी भी न्यायालय मे नही की गई परन्तु अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क 26/अ–19/2005–06 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 8.1.2014 से तहसीलदार वसारी का बंटन प्रकरण क 57/अ–19/97–98 में पारित आदेश दिनांक 28.8.98 निरस्त कर दिया गया जिसमें आवेदक को भी बंटन सरल क 52 पर था वह भी निरस्त हो गया जिसकी आवेदक को कोई सूचना व जानकारी नही	

थी जब जानकारी हुई तब पता चला कि अपर आयुक्त सागर के आदेश से बंटन आदेश निरस्त हो गया है जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो मे उठाये गये विन्दुओ पर आवेदक अभिभाषक के तर्को सुने एंव उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया ।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को भूमि का बंटन विधिवत रूप से किया गया था , जिसके पश्चात उनके द्वारा भूमि मे सुधार उसे कृषि योग्य बना लिया है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त , सागर संभाग सागर द्वारा उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना भूमि का आवंटन निरस्त किया है , अतः ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाये तथा विचार न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत एंव सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया ।

5– अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया कि वर्तमान प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र का है , ऐसी स्थिति में प्रकरण की सुनवाई नही की जा सकती क्योकि उपरोक्त अधिकारिता इस न्यायालय को नही है , अतः वर्तमान निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

6–विचार योग्य है कि क्या राजस्व मण्डल को राजस्व पुस्तिक परिपत्र के अतर्गत अपील/निगरानी सुनने के अधिकार है अथवा नही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बानमोर सीमेन्ट वर्क्स लि.मि. (मेस) मुरैना विरूद्ध म.प्र. राज्य 2012 रा0नि0 385 में व्यवस्था दी है :–

" Maintainability of appeal –order passed by Revenue officer under provision of M.P. Revenue Book Circulars-appeal against such order is maintainable before Board of Revenue."

अतः राजस्व पुस्तक पुरिपत्र के अन्तर्गत विचारित कार्यवाही में आयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेशो के विरूद्ध

अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को है, जिसके कारण शासकीय अभिभाषक का तर्क मान्य किये जाने योग्य नही है।

7— आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया एंव उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पस्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया का पालन करते हुये भूमि का आंवटन आवेदक को किया गया था, जिसके पश्चात उनके द्वारा भूमि मे सुधार कार्य करके उसे कृषि उपयोगी बना लिया है तथा वर्तमान समय में कृषि उपयोगी हो गयी है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश के पालन में जो कार्यवाही कर नायव तहसीलदार मण्डल बसारी द्वारा आवेदक के आंटन को निरस्त मानकर राजस्व अभिलेखों में जो इन्द्राज किया गया है , वह त्रुटिपूर्ण है क्योकि आवेदक के पटटो कें संबध मे ना तो अपील प्रस्तुत की गयी है और ना उन्हे प्रस्तुत अपील मे पक्षकार ही बनाया गया था , ऐसी स्थिति में उन्हे सूचना, सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश अपर आयुक्त , सागर संभाग सागर किया गया है , वह त्रुटिपूर्ण होने से आवेदक के हितो तक समाप्त किया जाता है तत्पश्चात नायव तहसीलदार बसारी द्वारा की गयी कार्यवाही आवेदक के हितो तक समाप्त की जाती है।

8— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त , सागर संभाग ,सागर द्वारा 26/अ—19/2005—06 मे पारित आदेश दिनाक 08.01.2014 आवेदक के हितो तक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव नायव तहसीलदार मण्डल , बंसारी द्वारा राजस्व अभिलेखों मे किया गया इन्द्राज आवेदक के हितो तक समाप्त किया जाता है एंव नायव तहसीलदार मण्डल , बसारी को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेख में दर्ज करें । यह आदेश केवल आवेदक पर प्रभावशील होगा।

सदस्य